वादी सानीका दिनांक 7-6-22 को

7.6.22 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील वादी द्वारा बताया कि प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड उपखण्ड गोठ के संग्रह अभियान के दौरान की त्रुटि थी प्रकरण में किसी प्रकार की कोर्ट कार्यवाही नहीं चाहते थे प्रकरण खारिज कराना चाहते थे प्रार्थी / वादी गण वाद खारिज किया जाना थे पत्रावली निरस्त होकर वाद सानीका वकालत के दायित्व समाप्त हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:49:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner